

देवघर समाहरणालय
(जिला भू अर्जन शाखा)

-: अधिसूचना :-

अधिसूचना संख्या/भू अ०

दिनांक : 6/2/18

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम :-बड़ासतीघाट, थाना-मोहनपुर, थाना सं०-805, अंचल-मोहनपुर, जिला-देवघर में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना मोहनपुर से हंसडीहा नई रेल लाईन निर्माण परियोजना हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम-बड़ासतीघाट, थाना-मोहनपुर, थाना सं०-805, अंचल-मोहनपुर, जिला-देवघर में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 3.34 एकड़ मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है-

क.स.	खाता सं.	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	103	रैयती	धानी-2	0.43	डोमन सिंह पे० लड्डु सिंह वो जागेश्वर सिंह अंश समान सा० देह।	मौज 1-सि सघ राय डी नं०	मौज 1-च न्दा यण नं० -80 6	अर्जित दाग का अंश रकवा	अर्जित दाग का अंश रकवा
2	3	131	रैयती	धानी-3	0.06	राम मिलन सिंह पे० समलाल सिंह सा०-बड़ा सती घाट।				
3	3	48	रैयती	बाड़ी-1	0.09	तथैव।				
4	3	47	रैयती	मकान	0.03	तथैव।				
5	3	46	रैयती	बाड़ी-1	0.36	तथैव।				
6	4	107	रैयती	धानी-3	0.35	लालमोहन सिंह वो कामदेव सिंह पे० पांचु सिंह वो बुधन सिंह वो सोन्हित सिंह वो बादल सिंह पे० मकर सिंह अंश समान सा० देह।				
7	4	99	रैयती	धानी-2	0.11	तथैव।				
8	4	108	रैयती	धानी-3	0.27	रेवती देवी पति चैतु सिंह वो शांति देवी वो टेना देवी पे० भगलू सिंह वो मलेट्टी सिंह माता भुखली देवी वो गोवर्धन सिंह वो शनिचर सिंह अंश समान सा० देह।				
9	4	102	रैयती	धानी-2	0.19	तथैव।				
10	5	94	रैयती	धानी-3	0.22	सुरेश चौधरी वो दिनेश चौधरी वो विन्दा देवी पे० रामेश्वर चौधरी वो सच्चिदानंद झा वो निरंजन झा माता गैना देव्या वो जयप्रकाश झा वो श्री प्रकाश झा वो ओमप्रकाश झा वो कल्याणी देवी माता निर्मला देवी अंश समान सा० चकरमा।				
11	11	49	रैयती	बाड़ी-1	0.49	हरि प्रसाद सिंह वो कैलाश सिंह पे० जगरनाथ सिंह वो दिगम्बर सिंह वो गोनोवारी सिंह वो भुदेव सिंह पे० तारणी सिंह वो कमला सिंह वो सीता राम सिंह वो भीम सिंह अंश समान सा० बड़ा सती घाट।				
12	11	50	रैयती	धानी-3	0.22	तथैव।				
13	11	104	रैयती	धानी-2	0.05	तथैव।				

14	11	104	रैयती	धानी-2	0.04	तथैव।				
15	12	101	रैयती	धानी-3	0.02	गोवर्धन सिंह वो शनिचर सिंह माता कुन्ती देवी अंश समान सा० देह।				
16	13	92	रैयती	धानी-2	0.41	सिरोमनी राउत माता सस्ती राउताईन सा० चकरमा।				
कुल रकवा-					3.34					

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा कय/विकय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।



समाहर्ता-सह-उपायुक्त,
देवघर।

ज्ञापांक 111 / भू अ0, देवघर, दिनांक 6/7/18

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, मोहनपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघरको सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि देवघर जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कृपा करें।



समाहर्ता-सह-उपायुक्त,
देवघर।